फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– मांगीलाल

विपक्षी :–देवीलाल

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 70/23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 26.03.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 4, 6, 8, 9, 10 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 4, 6, 8, 9, 10 का जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। विपक्षी संख्या 13 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 14 द्वारा जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 5, 7, 13, 14 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता नन्दा पुत्र उम्मदा के नाम पर खातेदारी से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी से अंकित हैं। प्रार्थी द्वारा अपने पिता जी की मृत्यु होना बताया तथा खातेदार नन्दा पुत्र उम्मदा का पुत्र होने से प्रार्थी उक्त भूमि का स्वामि होने से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थी अपनी भूमि का विकास करना चाहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन सीमा विवाद होता हैं। सीमा को लेकर होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमाकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लालपुरा, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 69 आराजी नम्बर 392, 393, 399, 458, 459, 460, 494, 553 किता 8 रकबा 3.1000 हैक्टयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार कानोड को 500/– पांच सो रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी प्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार इस बात की सुनिश्चितता करेंगे कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। कमिश्नर राशि का प्रार्थीगण अदा करेंगें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:48 IST
Reason: SelfAttested